विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तरालेख

प्रश्न	**उत्तर**
16 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय वजीरगंज, लखनऊ में कितने निरस्त उचित दर के के विक्रेताओं के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड उन उचित दर के विक्रेताओं की दुकानों पर सम्मिलित कर लिये गये है, जिनके यहाँ पहले से ही अधिक राशन कार्ड है?	जिलाधिकारी,लखनऊ की आख्यानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो उचित दर दुकानें(1- श्रीमती क्षमा मेहरोत्रा-निधन के कारण 2- श्री प्रमोद कुमार जायसवाल-इस्तीफा देने के कारण) निरस्त की गयी। श्री प्रमोद कुमार जायसवाल की उचित दर दुकान से सम्बद्ध समस्त राशन कार्ड/यूनिटों(463 राशन कार्ड/1966 यूनिट) का समायोजन आर्थिक व्यवहार्यता के दृष्टिगत श्रीमती क्षमा मेहरोत्रा की रिक्त उचित दर दुकान (309 राशन कार्ड/1274 यूनिट) से करते हुए उक्त रिक्ति के सापेक्ष लॉटरी पद्धति के माध्यम से नये विक्रेता श्री अनुराग श्रीवास्तव का चयन किया गया। श्री अनुराग श्रीवास्तव को जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या-1387 दिनांक-06-12-2024 उचित दर दुकान हेतु संचालन आदेश जारी किया गया। वर्तमान में अधिक राशन कार्ड की किसी भी उचित दर दुकान में किसी अन्य दुकान का राशन कार्ड कार्ड सम्मिलित नहीं किया गया है।
(ख) क्या उन राशन कार्डों को जो नियम विरुद्ध सम्मिलित किये गये है उन दुकानों से हटाकर अन्य दुकानों में सम्मिलित करायेंगे ?	शासनादेश संख्या-7/2019/1359/29-6-2019-162सा0/2001 दिनांक-05 अगस्त,2019 में यह व्यवस्था है कि नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक उचित दर दुकानों की नियुक्ति 4000 यूनिट पर की जाए। यदि 4000 यूनिट से अधिक हो तो एक से अधिक दुकान नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। है। 4000 से अधिक यूनिट होने पर अतिरिक्त दुकान सृजित किये जाते समय इस तथ्य का ध्यान रखा जायेगा कि अतिरिक्त तौर पर सृजित दुकान व मूल दुकान में परस्पर यूनिटों की संख्या यथा सम्भव समान रहे ताकि दुकान की आर्थिक व्यवहार्यता बनी रहे। खाद्य क्षेत्र वजीरगंज में उपरोक्त आदेशों के क्रम में उचित दर दुकानें संचालित हैं। अतः अधिक यूनिट को काट कर कम यूनिट के विक्रेता को राशनकार्ड आवंटित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी की आख्यानुसार कोई भी राशन कार्ड नियम विरुद्ध सम्मिलित नहीं किए गए हैं।
(ग) क्या इन नियम विरुद्ध कार्य करने वाले जिला आपूर्ति अधिकारी लखनऊ एवं आपूर्ति निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही करायेंगे ?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ) यदि हाँ,तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।